संख्या-270/2018/1900/नौ-5-18-157बजट/16

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (एसबीएम)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2018

विषय:-"स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्टस हेतु अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक (एसबीएम), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पीएमयू/754/427(4)/2017, दिनांक 23.05.2018 तथा अवर सचिव, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/25/2015-एस0बी0एम0, दिनांक 09.04.2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्टस हेतु अवमुक्त **केन्द्रांश रू0 3401650.00 लाख** एवं उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रू0 6317350.00 लाख में से उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार राज्यांश की धनराशि रू0 4398350.00 लाख **कुल रू0 78000.00 लाख (रू0 सात अरब अस्सी करोड़ मात्र)** को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि करोड़ रू0 में)

भारत सरकार के पत्र संख्या	योजना का नाम	प्राप्त केन्द्रांश 35%	अनुमन्य राज्यांश 65%	बजट व्यवस्था की उपलब्धता के अनुसार राज्यांश की प्रस्तावित धनराशि	केन्द्रांश एवं राज्यांश (3+5)
1	2	3	4	5	6
1/25/2015-एस0बी0एम0, दिनांक 09.04.2018	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्टस	245.6750	456.2536	264.3536	510.0286
1/25/2015-एस0बी0एम0, दिनांक 30.03.2018	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्टस	94.49	175.4814	175.4814	269.9714
	योग	**340.1650**	**631.7350**	**439.8350**	**780.0000**

(1) भारत सरकार के आदेश संख्या-1/25/2015-एस0बी0एम0, दिनांक 09.04.2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2018 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।

(3) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-02-स्वच्छ भारत मिशन-0202-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.35/रा.65-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पित्तियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-293/दस-18, दिनांक 04 जुलाई, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-270/2018/1900(1)/नौ-5-18-157बजट/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।